12/3/2022 पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित होने से सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली हस्बकायदा दिनांक 23/3/22 को पेश हो।

23/03/22 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार उप०। ~~बहस~~ रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना दिनांक 05.10.2021 पूर्व से शामिल पत्रावली है। बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 31.3.22 को पेश हो।

31/03/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि ग्राम खोरी पटवार मण्डल डूंगा की नांगल स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 77/235 रकबा 0.15 हैक्टे0 किस्म गै0मु0 आबादी वर्तमान राजस्व नक्शे में पुराने नक्शे अनुसार अंकित नही कर गलत स्थान पर ख0 नं0 60 में अंकित कर दी गयी है जो गलत है। प्रार्थी ग्राम पंचायत की ओर से पैरवी करते हुये वकील प्रार्थी का कथन रहा कि वर्तमान में आबादी भी इसी जगह बसी हुयी है एवं सैटिलमैन्ट से पूर्व का नक्शा सही है गत नक्शे अनुसार वादग्रस्त आराजी का वर्तमान नक्शा दुरुस्त किया जावें। प्रकरण में तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट दिनांक 05.10.2021 के अनुसार भी वर्तमान में मौके पर आबादी हाल नक्शे के अनुसार खसरा नं0 60 में बसी हुयी है तथा

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खसरा नं0 60 की सीमा राजस्व नक्शे में अधिक दर्शायी जाने का कथन तहसीलदार की रिपोर्ट में स्पष्ट है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत गत नक्शा सम्वत 2005 मौजा खोरी गत ख0 नं0 48 का सही सीमा अंकित है, का वर्णन किया। तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दुरुस्ती हेतु तहसीलदार को आदेश प्रदान करने का अनुतोष चाहा।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वर्तमान खसरा नं 77/235 का राजस्व नक्शा, गत नक्शा सम्वत 2005 मौजा खोरी में गत ख0 नं0 48 के नक्शे अनुसार नही है, हाल खसरा नं0 60 की दक्षिणी सीमा अधिक दर्शायी गयी है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 05.10.2021 के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खोरी पटवार मण्डल डूंगा की नांगल स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 77/235 रकबा 0.15 हैक्टे0 किस्म गै0मु0 आबादी (गत खसरा नं0 48/2) की तरमीम गत नक्शा सम्वत 2005 मौजा खोरी के अनुसार दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner